राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/5702 दिनांकः 5/12/19

आदेश

पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं दी हुई है। इस धारा की खण्ड (थ) (Clause q) के प्रावधानों के अनुसार चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए एवं उसके परिवार का कोई भी सदस्य का खुले में शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। उक्त धारा 19(थ) के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताऐः–(Clause q) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता होः''

इस खण्ड के लिए स्पष्टीकरण–II इस प्रकार हैः–

(i) ''स्वच्छ शौचालय'' से तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल–बंध (Water sealed) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था अभिप्रेत है; और

(ii) ''परिवार के सदस्य'' से ऐसे व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता–पिता अभिप्रेत हैं।

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 25(1) एवं 58(6) के अनुसार नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी की दोष–सिद्वी, संतान संबंधी एवं लम्बित आपराधिक प्रकरणों की सूचना प्ररूप 4–घ में लिए जाने के तो प्रावधान है, किन्तु अधिनियम की धारा 19(थ) के द्वारा अधिरोपित उक्त योग्यता की जांच हेतु अधिनियम/नियमों मे कोई व्यवस्था नहीं है। अतः राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 91–A में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त समस्या के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में अंडरटेकिंग/घोषणा का प्रारूप निर्धारित किया गया है, जो पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

इस सबंध में आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि पंचायतीराज संस्थाओं के समस्त निर्वाचनों में **नाम निर्देशन पत्रों के साथ संलग्न प्रारूप में कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा** संलग्न प्रारूप में अभ्यर्थी से ली जाए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारूप में अंडरटेकिंग/घोषणा नहीं दी जाती है, तो उसको इस आशय का मीमो दिया जावे कि, संवीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त घोषणा प्रस्तुत कर देवें और इसके पश्चात् भी यदि उक्तानुसार अंडरटेकिंग/घोषणा प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उसका नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः– प. 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2014/5703–04 दिनांक : 5/12/19

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करने के लिए कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा/अंडरटेकिंग

(देखें धारा 19(थ)राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994)

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी* श्री .... निवासी .... ने जिला परिषद/पंचायत समिति* .... के निर्वाचन क्षेत्र*................................ के सदस्य अथवा ग्राम पंचायत .... के सरपंच/पंच वार्ड संख्याक* .... के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत किया है, मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि :–

(1) मेरे घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय है, जो तीन दीवारों, एक दरवाजा और छत से घिरा हुआ है। इसमें जल–बन्ध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था है।

(2) मेरे परिवार का कोई भी सदस्य (पति/पत्नी*, बच्चे एवं साथ निवास कर रहे माता/पिता) खुले में शौच के लिए नहीं जाते हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं कि मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपरोक्त तथ्य सही हैं।

साक्षी के हस्ताक्षर
(नाम व पता सहित)

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

दिनांक :
स्थानः

---

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान